(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 16/2025

पंजीकरण संख्या :– 2025/58

बउनवान

हजारीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारॉ
(अपीलांट)

बनाम

1. कान्तिबाई पत्नी हेमराज जाति चमार निवासी मुसेनमाताजी तहसील अटरू जिला बारॉ
2. मनभर पत्नी गुलाबचंद जाति चमार निवासी रतनपुरा खेडलीगंज अटरू जिला बारॉ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 05/2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 19.12.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :– 1– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांट)
2–श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 1 व 2)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पो0 क्रम 3)

निर्णय दिनांक 24.03.2026

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 05/2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान कान्तिबाई बनाम हजारीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 19.12.2024 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 16.07.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 03 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण मे लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पर सर्वप्रथम बहस सुनी जाकर स्वीकार किया गया और उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां द्वारा निर्णय दि. 28.03.2024 से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के निर्णय को खारिज कर इस आदेश के साथ रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में अपीलांट को विधिवत् नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण पुनः दर्ज किया तथा दिनांक 19.12.2024 को पत्रावली से विपरीत तथ्यों पर प्रकरण का विधि विरूद्ध तरीके से निस्तारण कर रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को बेदखल करने तथा शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि जिन तत्कालीन खातेदारों द्वारा रेस्पोडेन्टगण को जमीन का बेचान किया। उनके द्वारा माननीय न्यायालय में प्रकरण संख्या 190/2022 में दिनांक 28.11.2022 को शपथ पत्र प्रस्तुत किये थे तथा उन शपथ पत्रों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया था कि ग्राम दीलोद हाथी तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 157/2150 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 157/2149 रकबा 0.14 भूमि उनके द्वारा रेस्पोडेन्टगण को न तो बेचान की गई और न हीं उनको कब्जा संभलाया गया। उक्त आराजी पर कब्जा हजारीलाल पुत्र रामचंद्र का है, यह बात रेस्पोडेन्टगण को बता दी गई थी परंतु रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के बावजूद भी मात्र राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित होने के कारण गलत रूप से पेश किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर जो गवाह माननीय न्यायालय में पेश हुये थे, उनको नोटिस जारी नहीं किये गये तथा उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण की साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध नहीं की। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय सर्वमान्य सिद्धांतों विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू का निर्णय दिनांक 19.12.2024 प्रकरण सं. 15/2024 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण को इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह तत्कालीन खातेदारों की साक्ष्य लेकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करें। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। जमाबंदी ग्राम दीलोदहाथी संवत् 2072–2075 के अनुसार खसरा नं. 157/2150 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 157/2149 रकबा 0.14 भूमि के कान्तिबाई पत्नी हेमराज जाति चमार निवासी मूसेन माता तहसील अटरू एवं मनभर बाई पत्नि गुलाबचन्द जाति चमार निवासी रतनपुरा खेडलीगंज तहसील अटरू रिकार्डेड खातेदार है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट को भूमि का बेचान नहीं किया गया है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया और उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के प्रकरण संख्या 44/2018 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान कान्तिबाई बनाम हजारीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 30.10.2019 की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 190/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्णय दिनांक 28.03.2024 से तहसीलदार अटरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2019 खारिज किया जाकर प्रकरण इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया गया था कि प्रकरण में अपीलांट को विधिवत् नोटिस जारी किए जाकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावें।

तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण को पुनः प्रकरण संख्या 05/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर हजारीलाल को जरिये सम्मन तलब किया गया और उसके द्वारा जरिये अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन के उपस्थिति दी गई और प्रकरण में जवाब भी प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली जाकर निर्णय दिनांक 19.12.2024 को पारित किया गया। प्रकरण में हजारीलाल द्वारा उक्त भूमि क्रय किये जाने के कथन किये गये है किंतु अधीनस्थ न्यायालय में एवं इस न्यायालय में आदिनांक तक उक्त विवादित भूमि क्रय किये जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त प्रकरण में यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 05/2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान कान्तिबाई बनाम हजारीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 19.12.2024 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **24.03.2026** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ